

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपरबठ अधिकारी मुकाम खेतड़ी
सुल्तान बनाम राजस्थान सरकार
 किस्म मुकदमा 136 L.R. Act नं. 123 / 2021 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>04/10/2021 शर्ची बटा गर्चना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार खेतड़ी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से पांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जाफ पह फरावली प्रशासन गांधी के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत जसरापुर में जाफोदरा कैंप में पेश हुई। तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के शर्ची की माता का नाम उरुस्तु किया जाना न्यायसंगत है। मद्रमे काम में प्रस्ताव ली गई। सरपंच ग्राम पंचायत जसरापुर ने शर्ची की माता का सही नाम शोकारी होना तस्दीक किया। अतः फरावली पर उपलब्ध दस्तावेजगत, तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत जसरापुर की तस्दीक के साधार पर शर्ची का गर्चना पत्र स्वीकार किया जाना है। ग्राम जसरापुर स्थित ग्रामिण जमाखरी सन्वत् 2073-76 के खाता संख्या पत्र में शर्ची की माता का नाम ग्यारसी पत्नी अर्जन के स्थान पर शोकारी पत्नी अर्जन उरुस्तु किया जाने का आदेश दिया जाना है। आदेश की पासना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहसील जारी है। निम्नपि मद्रमे काम में सुनाया गया। फरावली केसल शुमा व दर्ज नम्बर से कुछ थोडा दाखिल रफ्तार है।</p>	<p>मन्जू सरपंच ग्राम पंचायत, जसरापुर प.स.-डोतड़ी, (मुकुन्दपुर राज.)</p>

उपरबठ अधिकारी, खेतड़ी

